# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

## अपील संख्या 12 / 167 / 2018

अपीलार्थी
श्री प्रतापसिंह
कोर्ट कैम्पस, बहरोड जिला–अलवर (राज.)

बनाम

प्रत्यर्थी
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड (अलवर)

प्रवेश तिथि : 14.11.2018

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

## निर्णय

दिनांक: 20.12.18

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक: 12.10.18 के माध्यम से पूर्व में अन्य व्यक्ति डॉ. समरसिंह यादव, ग्राम व पोस्ट–तसींग, तहसील–बहरोड द्वारा प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना–पत्र पर की गई सम्पूर्ण कार्यवाही बाबत प्रमाणित सूचना चाही गई थी।
5. उक्त आवेदन में वर्णित सूचना आवेदक को प्राप्त नहीं होने के कारण आवेदक द्वारा प्रार्थना–पत्र दिनांक: 13.11.2018 के माध्यम से इस न्यायालय को उक्त अधिनियम अंतर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब कर जवाब के साथ इस न्यायालय में उपस्थित होने निर्देशित किया गया।
7. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से सुनवाई हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्रांक: लोक सूचना / 2018 / 1389–90 दिनांक: 17.12.18 के माध्यम से बिन्दुवार जवाब नोटिस प्रेषित किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।
8. हमने प्रत्यर्थी से प्राप्त जवाब एवं अपीलार्थी की प्रथम अपील का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांक: 12.10.18 के संबंध में पत्रांक: 1175–76 दिनांक: 31.10.18 के माध्यम से तहसीलदार बहरोड को लिखते हुए प्रति अपीलार्थी को उपलब्ध कराई गई है जिस पर अपीलार्थी द्वारा सूचना संबंधी 03 पत्रादि प्राप्ति के दिनांक: 02.11.18 में हस्ताक्षर भी अंकित हैं। उक्त कार्यवाही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विनिर्दिष्ट समयावधि में ही निष्पादित की गई है।
9. अपीलार्थी द्वारा अपील प्रा0पत्र दिनांक: 13.11.18 में वर्णित किया है कि "नियत समय बाद तक भी सूचना नहीं देने पर आवेदन–पत्र में चाही गई सूचना निःशुल्क उपलब्ध करावें" मिथ्या एवं जानबूझकर लोक सूचना अधिकारियों का समय खराब करने वाला कृत्य है।
10. अतः उक्त आलोक में प्रथम अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है। अपीलार्थी को सावचेत किया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार अनावश्यक लोक सूचना अधिकारियों का समय जाया ना करें।
11. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
12. निर्णय घोषित।

(ओ.पी. जैन)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)